

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. 08/2016

प्रार्थीगण—

भंवरसिंह पुत्र आसूसिंह जाति
राजपूत निवासी गुड़ामालानी तहसील
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण —

1. ग्राम पंचायत गुड़ामालानी जरिये
सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ामालानी
2. भाखराराम पुत्र विरधाराम जाति
विश्रनोई निवासी कांधी की ढाणी
तहसील गुड़ामालानी जिला
बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज
अधिनियम वास्ते निरस्त करने पट्टा संख्या 36 दिनांक 21.10.2014 जो
ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा अप्रार्थी सं. 02 भाखराराम के पक्ष में
निष्पादित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री दलपतसिंह सिसोदीया, अधिवक्तागण प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।
3. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री करनाराम चौधरी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 25/09/2019

1. प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान
पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा
अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख सं. 36 दिनांक 21.10.2014 को
निरस्त करने का निवेदन किया गया है।
2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष
में अप्रार्थी सं. 1 सरपंच, ग्राम पंचायत गुड़ामालानी के द्वारा ग्राम गुड़ामालानी
में आबादी भूमि में से 2660 वर्गफुट क्षेत्रफल के भूखण्ड का पट्टा दिनांक
21.10.2014 को नियम 157(1) के अन्तर्गत पुराने आवास गृहों के
नियमितीकरण का जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जारी इस

आवंटन के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया तथा निगरानीधीन रेकॉर्ड ग्राम पंचायत गुड़ामालानी से तलब किया जाकर अवलोकन किया गया।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना। प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि ग्राम गुड़ामालानी के खसरा नम्बर 1683 गैर मुमकीन गोचर की भूमि आई हुई है जो खसरा नम्बर 1349/3 रकबा 44-02 बीघा गैर मुमकीन आबादी के नजदीक होने की वजह से तत्कालीन सरपंच द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आलौच्य पट्टा विधि विरुद्ध जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने के समय उक्त भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं होकर गैर मुमकीन गोचर थी जिसकी किस्म परिवर्तन कराये बिना पट्टा जारी करने का विधिवत अधिकार पंचायत को नहीं था। अप्रार्थी सं. 1 सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा पंचायतीराज अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों को अनदेखा करते हुए उक्त भूमि का पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है।
5. प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 को आवंटित भूखण्ड के कोई पडौस अंकित नहीं किये हैं, जिससे बगैर पडौस अंकित किये विवादित भूखण्ड किस जगह अवस्थित है कोई उल्लेख नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 ने समस्त कार्यवाही पंचायत कार्यालय में ही बैठकर षडयंत्र द्वारा गैर मुमकीन भूमि को हड़प करने के उद्देश्य से की गई है। अप्रार्थी सं. 2 का विवादित भूखण्ड पर पुराना कब्जा होने का शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक अथवा शपथ आयुक्त से तस्दीकशुदा नहीं है, जिससे शपथ पत्र का महत्व नहीं रह जाता है। अप्रार्थी सं. 2 के आवेदन पर मौका कमेटी गठन करने का पंचायत बैठक कार्यवाही रजिस्टर में कहीं अंकन नहीं है। पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 के अनुसार आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं स्थल नक्शा हेतु निर्धारित 25-25 रूपये शुल्क जमा कराना आवश्यक है, जो आलौच्य प्रकरण में जमा नहीं कराई गई है। आलौच्य पट्टा नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है जिसके तहत 50 वर्ष से पूर्व बने मकानों हेतु पट्टा जारी करने का प्रावधान है लेकिन

विवादित स्थल पर कोई निर्माण नहीं है एवं खाली पड़ा है एवं मौका कमेटी रिपोर्ट में भी मकान निर्मित होना या पुराना होने का कोई कथन नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा पूर्णतया फर्जी एवं विधि विरुद्ध तरीके से क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गोचर भूमि पर जारी किया गया है तो निरस्त योग्य हैं।

6. अप्रार्थीगण सं. 2 के योग्य अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 2 का विवादित भूखण्ड पर पुराना कब्जा एवं स्वामित्व हैं जिसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर ही उक्त मकान का पट्टा अप्रार्थीगण सं. 2 के पक्ष में जारी किये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा विलेख जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है तथा प्रार्थी तृतीय पक्षकार होने से यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई आधार नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों ही निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं जो मय खर्चा-हर्जा खारिज फरमाये जावें। अप्रार्थी सं. 2 के आवेदन पत्र पर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पत्रावली संधारित कर नियमानुसार नक्शा एवं मौका रिपोर्ट लेने हेतु आदेश पारित किया गया, जिस पर मौका कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रित किये जाने का नोटिस प्रकाशित किया तथा निर्धारित 30 दिन की अवधि गुजरने तक कोई उजरदारी प्रस्तुत नहीं होने पर नियमानुसार राशि जमा कर अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 ने विशेष आपत्ति प्रकट करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जारी पट्टा विलेख का उप पंजीयन कार्यालय गुड़ामालानी में पंजीयन कराया जा चुका है ऐसे में जब तक उक्त पट्टा का पंजीयन निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक उक्त पट्टा खारिज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा विलेख जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं जो मय खर्चा-हर्जा खारिज फरमाये जावें।


17

7. हमने दोनो पक्षों द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में अप्रार्थी सं. 1 सरपंच, ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा ग्राम गुड़ामालानी की गोचर भूमि में से भूखण्ड काटकर आलौच्य पट्टा सं. 36 दिनांक 21.10.2014 को जारी किया गया है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि आलौच्य पट्टाधीन भूमि मौके पर खाली पड़ी है तथा अप्रार्थीगण सं. 2 का कोई कब्जा नहीं है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 का कथन है कि पुराना कब्जा मौके पर था एवं आज भी निर्माण है जिसकी ताईद मौका कमेटी की रिपोर्ट में है। मौके कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन से कब्जा एवं निर्माण बाबत कोई विशिष्टियां उल्लेखित नहीं हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 द्वारा वक्त बहस निवेदन किया कि वर्तमान मौका कब्जा की रिपोर्ट तलब की जावे जिससे मौके पर भौतिक कब्जा की स्थिति स्पष्ट हो जावेगी, किन्तु इस स्तर पर अब मौका कब्जा की रिपोर्ट मंगवाया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है बल्कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत की कार्यवाही का ही वैधता, औचित्यता एवं अनियमितता के पहलु पर जांच उपरांत निश्चय किया जाना है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत गुड़ामालानी से आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता है कि आदेशिका को फोटो प्रति के रूप में फॉर्म-फीड के तहत तीनो ही दिन की आदेशिकाएं एक साथ मुद्रित करते हुए मात्र अलग-अलग तारीख अंकित कर हस्ताक्षर किये गये हैं। इससे प्रकट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से प्रत्येक दिन की कार्यवाही को सम्पादित नहीं कर एक ही दिन में तीनो दिन की कार्यवाही को अभिलिखित किया गया है जो कि स्पष्ट रूप से अवैधानिक कार्यवाही अनियमित रूप से की गई प्रतीत होती है। इसके अलावा विवादित भूखण्ड खसरा नम्बर 1349 में जारी किया गया है जो कि गैर मुमकीन गोचर है जो बिना आबादी में आवंटन के ग्राम पंचायत को आलौच्य पट्टा जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसे में बिना भूमि क्षेत्राधिकार धारण किये केवल पट्टा विलेख निष्पादित कर दिया है जो अपूर्ण कार्यवाही के अन्तर्गत आता है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण सं. 2 के पक्ष में जारी किया गया आलौच्य पट्टा अवैध, अनियमित अथवा अपूर्ण प्रकृति का होने से बहाल रखा जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया

जाकर सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा सं. 36 दिनांक 21.10.2014 निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर